



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-03062026-273100
CG-OR-E-03062026-273100

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2686]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2686]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 1 जून, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत अधिग्रहण की घोषणा

का.आ. 2779(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28th जनवरी 2026, में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पूर्व तट रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 409(अ) 28th जनवरी 2026 द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को ओडीशा राज्य के अंगुल जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, "ओडिशा राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न के अंतर्गत तालचेर बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प" का निर्माण के लिए आवश्यक है। एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् "प्रगतिवादी" (ओडीआ- भुवनेश्वर संस्करण) और "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" (अंग्रेजी - भूवनेश्वर संस्करण) तारीख 25th मार्च 2026, को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20डी के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम धारा 20 ई की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की है की उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर एससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न के अंतर्गत "तालचेर- बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प का निर्माण", संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण। यह भूमि ओडिशा राज्य के अनुगुल जिले की पाल्लहरा तहसील में 2 गांव स्थित हैं, जो सक्षम प्राधिकारी, स्वतंत्र भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तालचेर बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प, तालचेर, के अधीन हैं।

जिलाका नाम: अनुगुल							
क्रमांक	गांवका नाम	खाता नंबर	खसरा/ प्लॉट नं.	कुलक्षेत्रफल (एकर में)	20 ई के लिए प्रस्तावितक्षेत्र (एकर में)	किसम	भूस्वामी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जांगड़ा	3	2	1.020	0.330	सारद -1	प्रफुल्ल कुमार साहू, प्रदीप कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, प्रसन्न कुमार साहू पिता: नरत्तम साहू जाति: चसा, गांव: खमार, प्रमिलाबाला प्रधान पिता: नरत्तम साहू, जाति: चसा, गांव: झरालो, प्रतिमा मंजरी प्रधान पिता: नरत्तम साहू जाति: चसा, गांव: बड़सड़ा
			कुल	1.020	0.330		
2	जयपुरा	80/09	59/575	3.700	0.300	तैला-1	जोगेश्वर नाइक पिता: बंदिया नाइक, जाति: पाण, गांव: सुशब
3	जयपुरा	80/09	63/574	0.300	0.250	तैला-1	जोगेश्वर नाइक पिता: बंदिया नाइक, जाति: पाण, गांव: सुशब
4	जयपुरा	80/66	553/667	1.800	0.620	तैला-1	सदानन धल पिता: कपिलेश्वर धल, जाति: चसा, गांव: फपंड

5	जयपुरा	80/95	61/573/697	0.200	0.200	तैला-1	भारती नाइक पति: मोहेंद्र सुहुला जाति-पाण, गांव: कुंडापीठा, देवगड़
6	जयपुरा	80/95	59/575/698	0.200	0.200	तैला-1	भारती नाइक पति: मोहेंद्र सुहुला जाति-पाण, गांव: कुंडापीठा, देवगड़
7	जयपुरा	80/95	59/576/699	0.050	0.050	घरबारी	भारती नाइक पति: मोहेंद्र सुहुला जाति-पाण, गांव: कुंडापीठा, देवगड़
			कुल	6.250	1.620		

गांव का विवरण

क्रमांक	गांवका नाम	क्षेत्रफल (एकर में)
1	जांगड़ा	0.330
2	जयापुरा	1.620
	कुल	1.950

[फा.सं. CE/CON/II/BBS/TLHR-BUF/20E/2 village/Jangada-Jayapura]

एच. अनंतरामन, चीफ इंजीनियर(निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 1st June, 2026

Declaration Under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 2779(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railway (East Coast Railway, Construction Organization), Notification number S.O.409(E), dated 28th January 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II section 3, Sub-section (ii), dated 28th January 2026 (here in after referred to as the said notification) and issued under section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, measurement and operation of Special Railway Project, namely, “Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link Project” under Khurda Road Division of East Coast Railway in the State of Odisha.

And whereas, the substance of the said notification was published in 02 daily local newspapers namely “PRAGATIVADI” in Odia (Bhubaneswar Edition), and “THE TIMES OF INDIA” in English (Bhubaneswar Edition) Dated 25TH March 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said Act.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely "Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link Project" under Khurda Road Division of East Coast Railway in the State of Odisha, 2 villages are in Pallahara, Tahasil of Angul District in the State of Odisha under Competent Authority the Special Land Acquisition Officer, Talcher-Bimalagarh New B.G Rail Link, Talcher.

Name of District: Angul							
Sl. No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	Proposed area in 20E (In Acre)	Kisam of Land	Record Tenant
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jangada	3	2	1.020	0.330	Sarad-1	Prafulla Kumar Sahoo, Pradeep Kumar Sahoo, Pranaya Kumar Sahoo, Prasanna Kumara Sahoo S/O- Narattama Sahoo Caste-Chasa, Village-Khamar , Pramilabala Pradhan D/O-Narattama Sahoo, Caste-Chasa, Village-Jharalo , Pratima Manjari Pradhan D/O-Narattama Sahoo Caste-Chasa, Village-Badasada
Total				1.020	0.330		
2	Jayapura	80/09	59/575	3.700	0.300	Taila-1	Jogeswar Naik S/O- Bandia Naik, Caste-Pana, Village- Sushaba
3	Jayapura	80/09	63/574	0.300	0.250	Taila-1	Jogeswar Naik S/O- Bandia Naik, Caste-Pana, Village- Sushaba
4	Jayapura	80/66	553/667	1.800	0.620	Taila-1	Sadanana Dhala S/O- Kapileswar Dhala , Caste- Chasa, Village- Phapanda
5	Jayapura	80/95	61/573/697	0.200	0.200	Taila-1	Bharati Naik W/O - Mohendra Suhula Caste-Pana, Village- Kundapitha , Deogarh
6	Jayapura	80/95	59/575/698	0.200	0.200	Taila-1	Bharati Naik W/O - Mohendra Suhula Caste-Pana, Village- Kundapitha , Deogarh
7	Jayapura	80/95	59/576/699	0.050	0.050	Gharabari	Bharati Naik W/O - Mohendra Suhula Caste-Pana, Village- Kundapitha , Deogarh
Total				6.250	1.620		

Village wise Abstract.

Sl. No.	VILLAGE	AREA (In Acre)
1	Jangada	0.330
2	Jayapura	1.620
Total		1.950

[F. No. CE/CON/II/BBS/TLHR-BUF/20E/2 village/Jangada-Jayapura]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con.-II)